

11-9104

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क० 9/नर्सिंग/सेल-1/2016/189  
प्रति,

भोपाल दिनांक 18/02/2016


1. समस्त,  
संभागीय संयुक्त संचालक  
स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
2. समस्त,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
मध्यप्रदेश।
3. समस्त,  
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक  
मध्यप्रदेश।

विषय :- नर्सिंग सिस्टर, सिस्टर ट्यूटर, मेट्रन के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

संदर्भ :- संचालनालय का पदोन्नति आदेश क.9/नर्सिंग/सेल 1/1338/ दिनांक 01.12.2015, आदेश क. 1340, दिनांक 1.12.2015 एवं आदेश क. 1309 दिनांक 27.11.2015

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संचालनालय स्तर से नर्सिंग सिस्टर, सिस्टर ट्यूटर एवं मेट्रन के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किये गये हैं। उपरोक्त पदोन्नति आदेश अनुसार यदि किसी कर्मचारी द्वारा पदोन्नत स्थल पर उपस्थिति समय-सीमा में नहीं दी गई है, उन्हें पुनः पदोन्नति स्थल पर उपस्थित होने हेतु 07 दिवस का समय दिया जाता है।

अतः उक्त समय-सीमा में उपस्थिति न देने पर संदर्भित पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। निर्देशित किया जाता है कि आपके अधिनस्थ संस्था में पदस्थ पदोन्नत कर्मचारी से सहमति प्राप्त कर कार्यमुक्त करें। एवं पदोन्नत स्थल पर रिलिव करें। उपस्थित कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित सी.एम.ओ./सी.एस. की होगी।


  
(डॉ.जे.एल.मिश्रा)  
संचालक (नर्सिंग)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश।


पृ.क० 9/नर्सिंग/सेल -1/2016/190

भोपाल दिनांक 18/02/2016

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
2. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर समस्त जानकारी विभाग की बेवसाइड पर प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित।

  
संचालक (नर्सिंग)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश।

  
9-2-2016